[2022] 4 एस. सी. आर 502

आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2

वी.

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड।

(2022 की सिविल अपील संख्या 2716)

अप्रैल 05,2022

[उदय उमेश ललित और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-एस. 2 (1ए), 2 (31) और 170 (2) -

कंपनियों का विलय-आयकर के संदर्भ में विलय का प्रभाव-आयोजितः एस का संयुक्त प्रभाव। 394 (2) कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 2 (1ए) और आयकर अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों में यह कहा गया है कि समामेलन के बावजूद, अंतरिती या समामेलित कंपनी का व्यवसाय, उद्यम और उपक्रम -

इसलिए, एक समापन के विपरीत, उद्यम का कोई अंत नहीं है, इकाई के साथ-एकीकरण के मामले में उद्यम, जारी है-क्या समामेलन पर किसी इकाई की निगमित मृत्यु

प्रति स्वयं एक मूल्यांकन आदेश को अमान्य करता है जो आम तौर पर नहीं हो सकता है

एस के एक खाली अनुप्रयोग पर निर्धारित किया जाता है। 481 कंपनी अधिनियम, 1956 (और 2013 अधिनियम में इसके समकक्ष), लेकिन समामेलन की शर्तों और प्रत्येक मामले कंपनी अधिनियम, 1956 के तथ्यों पर निर्भर करेगा। 394 (2) और 481-कंपनी अधिनियम, 2013।

कंपनी कानून-एक निगम का विलय और समापन

इकाई-अंतर।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. समामेलन एक के समापन के विपरीत है

निगमित इकाई। समामेलन के मामले में, निगमित इकाई का बाहरी आवरण निस्संदेह नष्ट हो जाता है; इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

फिर भी, इस शब्द के हर दूसरे अर्थ में, निगमित उद्यम जारी है-नए या मौजूदा हस्तांतरणकर्ता इकाई के भीतर निहित। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय और साहस एक नए कॉर्पोरेट निवास, यानी हस्तांतरणकर्ता कंपनी के भीतर रहता है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि केवल अवधारणा से परे देखा जाए

502 आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 v. एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड।

निगमित निकाय का विनाश जो किसी भी मूल्यांकन कार्यवाही को समाप्त या समाप्त करता है। सिविल कानून और प्रक्रिया में समानताएं हैं जहां समामेलन पर, कार्रवाई का कारण या शिकायत अपने आप बंद नहीं होती है

बेशक, अधिनियमन की संरचना और उद्देश्य पर। मोटे तौर पर, कानूनी प्रणालियों और अदालतों की खोज यह पता लगाने के लिए रही है कि क्या किसी विशेष कारण या कार्रवाई के संबंध में कोई उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि मौजूद है, जिस पर संपत्ति हस्तांतरित हो सकती है या निर्णय लेने की स्थिति में दायित्व किसके ऊपर पड़ेगा। [पैरा 18] [511-सी-एफ]

2. कंपनियों की धारा 394 (2) का संयुक्त प्रभाव

अधिनियम, 1956, धारा 2 (1 ए) और आयकर अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों में यह कहा गया है कि समामेलन के बावजूद, अंतरिती का व्यवसाय, उद्यम और उपक्रम या समामेलित

कंपनी-जो समामेलन के बाद अस्तित्व में नहीं रहती है, उसे एक निरंतर कंपनी के रूप में माना जाता है, और किसी भी लाभ को आगे ले जाने के माध्यम से

हस्तांतरणकर्ता को नुकसान (हस्तांतरणकर्ता कंपनी का), मूल्यह्रास आदि की अनुमति है। इसलिए, एक समापन के विपरीत, इकाई के साथ उद्यम का कोई अंत नहीं है। समामेलन के मामले में उद्यम जारी है। [पैरा 30] [521-ई-एफ]

3. क्या समामेलन पर किसी इकाई की निगमित मृत्यु हो जाती है

प्रति स्वयं अमान्य करता है कि एक मूल्यांकन आदेश का निर्धारण आम तौर पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 (और 2013 अधिनियम में इसके समकक्ष) के खाली आवेदन पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह समामेलन की शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। [पैरा 42] [534-जी]

प्रधान आयकर आयुक्त v. मारुति सुजुकी

इंडिया लिमिटेड 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 928 और स्पाइस इंफोटेनमेंट लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त,

[2012] 247 सीटीआर 500 (डेल)-विशिष्ट।

मार्शल संस एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी

[1996] पूरक 9 एस. सी. आर. 216-पर निर्भर था।

सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट बनाम। के आयुक्त आयकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश [1990] पूरक 1 एस. सी. आर. 332; आयकर आयुक्त, v.

हुकुमचं
द [2022] 4 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोहनलाल [1972] 1 एससीआर 786; आय आयुक्त कर v. अमरचंद श्रॉफ [1963] पूरक 1 एससीआर 699;

6 एस. सी. आर. 590; आयकर आयुक्त बनाम। मसाला एनफोटेनमेंट लिमिटेड (2020) 18 एस. सी. सी. 353; डालमिया पावर

लिमिटेड और ओआरएस वी। सहायक आय आयुक्त

टैक्स, सर्कल 1, त्रिची (2020) 14 एस. सी. सी. 736; मैकडॉवेल

और कंपनी लिमिटेड v. आयकर आयुक्त,

कर्नाटक सेंट्रल (2017) 13 एस. सी. सी. 799: [2017] 2 एससीआर

856 ; भगवान दास चोपड़ा बनाम। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

[1988] 1 एससीआर 1088 और सिंगर इंडिया लिमिटेड बनाम। चंदर

मोहन चड्ढा [2004] पूरक 3 एस. सी. आर. 535-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1990] पूरक 1 एस. सी. आर. 332

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1972] 1 एससीआर 786

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1963] पूरक 1 एस. सी. आर. 699

संदर्भित किया गया है

पैरा I

[1964] 6 एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

पैरा I

[1996] पूरक 9 एस. सी. आर. 216

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

(2020) 18 एस. सी. सी. 353

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

(2020) 14 एस. सी. सी. 736

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2017] 2 एससीआर 856

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1988] 1 एससीआर 1088

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2004] पूरक 3 एस. सी. आर. 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 21.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की आयकर अपील No.73 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की.

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री स्वाति घिल सुश्री निरंजना सिंह, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, राज बहादुर वाई एडवस। याचिकाकर्ता के लिए।

सुश्री कविता झा, टी. एल. गर्ग, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 v.

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई। वकीलों की सहमति से, इस अपील पर आखिरकार सुनवाई हुई। यह अपील दिल्ली के एक आदेश 1 से उत्पन्न होती है।

उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी (इसके बाद "राजस्व") की अपील को खारिज कर दिया और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) के आदेश की पुष्टि की जिसने निर्धारिती (यानी इस मामले में प्रतिवादी) के खिलाफ मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया।

2. प्रत्यर्थी-निर्धारिती कंपनी, महागुन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद विभिन्न रूप से "एम. आर. पी. एल"., "समामेलन कंपनी" या "हस्तांतरणकर्ता कंपनी" के रूप में जाना जाता है), अचल संपत्ति के विकास में लगी हुई थी और उसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में "महागुन मेस्ट्रो" नाम से एक आवासीय परियोजना का निष्पादन किया था। एमआरपीएल उच्च न्यायालय के आदेश 2 (दिनांक 10.09.2007) के आधार पर महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसमें 'एम. आई. पी. एल.' के बाद) के साथ विलय किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 के आदेश और प्रावधानों के संदर्भ में, समामेलन 01.04.2006 से प्रभावी था।

" ए. वाई.) 2006-2007 अधिनियम की धारा 153 ए के तहत, 16 दिनों के भीतर। निर्धारिती द्वारा आर. ओ. आई. दाखिल करने में विफलता पर, निर्धारण अधिकारी (इसके बाद "ए. ओ".) ने अधिनियम की धारा 276. सी. सी. के तहत 18.05.2009 पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया। 23.05.2009 पर, कारण बताएँ नोटिस के लिए एक जवाब जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी और 30.06.2009 द्वारा एक विवरणी दाखिल की जाएगी। 28.05.2010 पर एक आरओआई, जिसमें निर्धारिती का वर्णन इस प्रकार किया गया है एम. आर. पी. एल. दाखिल की गई। 13.08.2010 पर, राजस्व ने अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया। इसके लिए दिनांकित पत्र द्वारा स्थगन की मांग की गई थी

1 आयकर अपील संख्या 73/2019 में दिनांकित 21.08.2019। 2 कंपनी याचिका सं. 133/2007 सी/डब्ल्यू कंपनी आवेदन (एम) सं. 41/2007 में।

22] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27.08.2010 . आर. ओ. आई. में, पैन 3 का खुलासा "ए. ए. ई. सी. एम. 1286 बी" (एम. आर. पी. एल. का स्वीकार) था; निर्धारिती के बारे में दी गई जानकारी यह थी कि इसके निगमन की तारीख 29.09.2004 (एम. आर. पी. एल. के निगमन की तारीख) थी। (आर. ओ. आई.) प्रपत्र के कर्नल 27 के अधीन विशिष्ट प्रश्न के लिए

" व्यवसाय पुनर्गठन (ए). (बी) समामेलित कंपनी के मामले में समामेलित कंपनी का नाम लिखें "जवाब था" लागू नहीं "। 4. आकलन अधिकारी (ए. ओ.) ने विभिन्न शीर्षों के तहत ₹ 6,47,00,972/- के कई जोड़ों के बाद ₹ 8,62,85,332/- की आय का आकलन करते हुए 11.08.2011 पर मूल्यांकन आदेश जारी किया। मूल्यांकन आदेश में निर्धारिती को "महागुन रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में दिखाया गया, जिसका प्रतिनिधित्व महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया।

5. व्यथित होने के कारण, आयकर आयुक्त (इसके बाद "सी. आई. टी".) के समक्ष एक अपील दायर की गई। अपीलार्थी का नाम और विवरण

वे इस प्रकार थेः

मेसर्स महागुन रियल्टर्स

(महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया,

एकीकरण के बाद)

बी-66, विवेक विहार, दिल्ली-110095।

सी. आई. टी. द्वारा 30.04.2012 पर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। सी. आई. टी. ने ए. ओ. द्वारा कर में लाई गई कुछ राशियों को अलग रखा। आमदनी

इस आदेश के खिलाफ आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील की गई; साथ ही, निर्धारिती ने भी आई. टी. ए. टी. में एक प्रति-आपत्ति दायर की। राजस्व की अपील थी

बर्खास्त कर दिया गया; निर्धारिती की प्रति-आपत्ति की अनुमति केवल एक बिंदु पर दी गई थी, अर्थात, जब मूल्यांकन आदेश दिया गया था, तब एम. आर. पी. एल. अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि यह एम. आई. पी. एल. के साथ विलय हो गया था। आई. टी. ए. टी. ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया किः

" उपरोक्त निर्धारिती कंपनी मूल्यांकन आदेश की तारीख को मौजूद नहीं थी, हम पाते हैं कि एल. डी. ए. ओ. द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश स्पाइस इंफोटेनमेंट लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. 247 आई. टी. आर. 500 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के साथ-साथ सी. आई. टी. बनाम डायमेंशन अपैरल प्राइवेट के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। लिमिटेड 370 आईटीआर 288। अंतिम निर्णय पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय

अदालत ने पूरे मुद्दे पर सभी कोणों से विचार किया है और इसलिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, हमारा विचार है कि आईडी एओ का आदेश अस्थिर है।

6. राजस्व ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय, इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, प्रधान आय आयुक्त के मामले में

कर v. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (इसके बाद 'मारुति सुजुकी'),

याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए राजस्व ने उस फैसले के खिलाफ अपील की है।

प्रस्तुतियाँ

7. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राजस्व,

श्री एन. वेंकटरमन ने आग्रह किया कि मूल्यांकन आदेश में समामेलित और समामेलित दोनों कंपनियों के नामों का उल्लेख किया जाए। उनके अनुसार ऐसी गलतियों, दोषों या चूक को धारा 292 बी के तहत ठीक किया जा सकता है जब मूल्यांकन अधिनियम के इरादे और उद्देश्य के अनुरूप या उसके अनुसार सार और प्रभाव में हो।

8. यह तर्क दिया गया था कि समामेलन या हस्तांतरणकर्ता कंपनी

समामेलित कंपनी द्वारा विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था और मूल्यांकन आदेश द्वारा किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था। राजस्व द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि मारुति सुजुकी में, इस अदालत ने राजस्व की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अंतिम मूल्यांकन आदेश में केवल समामेलन करने वाली कंपनी के नाम का उल्लेख किया गया था और परिणामी कंपनी का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि इस मामले में, मसौदा और दोनों में

अंतिम मूल्यांकन आदेशों में समामेलित और समामेलित कंपनी दोनों के नामों का उल्लेख किया गया था। 9. यह भी आग्रह किया गया कि मारुति सुजुकी के तथ्य वर्तमान मामले से अलग हैं, क्योंकि उस मामले में राजस्व को कंपनी के विलय और नाम में बदलाव के बारे में विधिवत सूचित किया गया था, और फिर भी मूल्यांकन अधिकारी ने हस्तांतरणकर्ता के नाम पर आदेश पारित किया।

या समामेलित कंपनी। हालांकि, वर्तमान मामले में एओ या यहां तक कि राजस्व को भी समामेलन के बारे में सूचित नहीं किया गया था। यहां तक कि जब तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, तब भी एम. आई. पी. एल. (और एम. आर. पी. एल., जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था) के निदेशकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों संस्थाओं का अस्तित्व था; इसके अलावा, पिछली अवधि के लिए एम. आर. पी. एल. की गतिविधियों से संबंधित विशिष्ट राशि का समर्पण किया गया था। धारा के तहत एक नोटिस जारी किया गया था

शुरू किया गया, और यह कि विवरणी 30.06.2009 द्वारा दाखिल की जाएगी। 28.05.2010 पर, निर्धारिती ने एम. आर. पी. एल. के नाम पर ए. वाई. 2006-07 के लिए आर. ओ. आई. दाखिल किया। द एओ अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत जांच अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया और 13.08.2010 पर नोटिस जारी किया। इस सूचना को अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा 16.09.2010 पर विधिवत स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, 27.08.2010 पर निर्धारिती की ओर से स्थगन की मांग की गई थी, और पत्र में एम. आर. पी. एल. के नाम का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, ए. ओ. के नोटिस के जवाब में निर्धारिती द्वारा दायर दिनांकित 28.06.2011 प्रस्तुतियों में स्पष्ट रूप से निर्धारिती कंपनी (एम. आर. पी. एल.) में शेयर होल्डिंग पैटर्न का उल्लेख किया गया है जो इंगित करता है कि

आई. डी. 1 तक भी, निर्धारिती ने एम. आर. पी. एल. के नाम पर कार्यवाही जारी रखी। 10. यह आग्रह किया गया कि 20.03.2007 पर की गई सर्वेक्षण कार्यवाही में, कंपनियों के निदेशक ने शपथ के तहत बयान दिए। इस समय, विलय के लिए आवेदन पहले ही उच्च न्यायालय में दायर किया जा चुका था। निर्धारिती एम. आर. पी. एल. ने उस राशि को सरेंडर कर दिया जिसके लिए वह हिसाब देने में असमर्थ था। एम. आई. पी. एल. के साथ विलय करने वाली अन्य संस्थाएं भी इसी तरह

समर्पण की गई राशि। कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती ने कभी भी अतिरिक्त आय के समर्पण के अपने प्रस्ताव को संशोधित नहीं किया और न ही इसे एओ की सूचना। इसके अलावा, 20.03.2007 पर, निर्धारिती ने एम. आर. पी. एल. के नाम पर पोस्टडेटेड चेक जारी किए। विलय के बाद, उन्हें न तो वापस लिया गया और न ही समामेलित कंपनी से नए चेक जमा किए गए

एम. आई. पी. एल.

11. यह प्रस्तुत किया गया था कि इन परिस्थितियों में, जब मूल्यांकन

कार्यवाहियों का प्रभावी ढंग से विरोध किया गया था, जिसके दौरान ए. ओ. को समामेलन के बारे में अवगत कराया गया था, जिसे निर्धारिती के विवरण में विधिवत प्रभाव दिया गया था, मूल्यांकन और आगे की कार्यवाही के शून्य होने का सवाल उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह बताया गया कि सी. आई. टी. को की गई अपील के साथ-साथ आई. टी. ए. टी. के प्रति परस्पर आपत्तियों में, निर्धारिती का विवरण महागुन रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में था, जिसका प्रतिनिधित्व महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया था, इन परिस्थितियों में, मूल्यांकन आदेश, वास्तव में और सार में, नई या हस्तांतरणकर्ता कंपनी, यानी एम. आई. पी. एल. के संबंध में था।

आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 v.

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

12. प्रत्यर्थी की ओर से, विद्वान वकील सुश्री कविता झा ने तर्क दिया कि समामेलन योजना की मंजूरी पर,

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के अनुसार समामेलित कंपनी को बिना बंद किए ही भंग कर दिया गया। रिलायंस को सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट बनाम में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था। आयकर आयुक्त, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह तर्क दिया गया कि समामेलन कंपनी (एम. आर. पी. एल.) को अधिनियम की धारा 2 (31) के संदर्भ में 'व्यक्ति' नहीं माना जा सकता है। 13. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि ए. ओ. द्वारा धारा 153 ए के तहत नोटिस (प्रतिवादी द्वारा सूचना के बावजूद)

एक गैर-मौजूदा इकाई, एम. आर. पी. एल. के नाम से जारी 30.05.2008 पर समामेलन और तलाशी के समय निदेशक का बयान, अवैध था और गैर-अस्तित्व वाली इकाई के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत अमान्य थी।

इंफोटेनमेंट लिमिटेड v. आयकर आयुक्त, 7 (इसके बाद 'स्पाइस') ने अभिनिर्धारित किया कि समामेलन कंपनी के नाम पर तैयार किया गया निर्धारण, जो कानून में अस्तित्व में नहीं था, अमान्य और असमर्थनीय था। और इस तरह के दोष को अधिनियम की धारा 292 बी के संदर्भ में ठीक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह तथ्य कि समामेलित कंपनी ने भाग लिया

मूल्यांकन कार्यवाहियाँ अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

15. यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का मामला मारुति सुजुकी द्वारा कवर किया गया है दोनों मामलों के तथ्य समान हैं। मारुति सुजुकी में,

समामेलन के तथ्य के बारे में ए. ओ. को पता था और मूल्यांकन आदेश में उन्होंने मौजूदा और गैर-मौजूदा दोनों संस्थाओं के नाम शामिल करके कारण शीर्षक में संशोधन करके दोष को दूर करने की कोशिश की; मूल्यांकन आदेश एक गैर-मौजूदा कंपनी के नाम पर होने के कारण, इस आग्रह पर प्रकाश डाला गया कि इसके परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को उस निर्णय में अनुपात का पालन करना चाहिए।

और राजस्व की अपील को अस्वीकार कर दें।

6 (1990) पूरक (1) एस. सी. आर. 332

7 [2012] 247 सीटीआर 500 (डेल)। इस फैसले को स्पाइस एंटरटेनमेंट बनाम के रूप में भी संदर्भित किया गया है। 2012 में आयकर आयुक्त (280) ई. एल. टी. 43 (दिल्ली)।

22] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विश्लेषण और निष्कर्ष

16. अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान धारा 1708 है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय या पेशा करता है और

(ऐसे व्यवसाय के लिए) किसी अन्य व्यक्ति (यानी उत्तराधिकारी) द्वारा उत्तराधिकारी बनाया जाता है,

पूर्ववर्ती का निर्धारण उस पूर्ववर्ष में उपार्जित आय की सीमा तक किया जाएगा जिसमें उत्तराधिकार हुआ था और उत्तराधिकारी का निर्धारण पिछले वर्ष की आय के संबंध में किया जाएगा -

उत्तराधिकार की तारीख के बाद पिछले वर्ष की आय।

17. दो या दो से अधिक संस्थाओं का मौजूदा निकाय के साथ समामेलन

धारा 394 (1) (ए) के तहत पुराने कंपनी अधिनियम, 1956% के तहत। धारा 394 ने न्यायालय को समामेलन का प्रस्ताव करने वाली योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया। और विभिन्न कदमों और प्रक्रियाओं की देखरेख करना जो उस उद्देश्य के लिए किए जाने थे, जिसमें परिसंपत्तियों का विभाजन और हस्तांतरण शामिल था।

और देनदारियाँ आदि। धारा 394 (2) निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई है:

" (2) जहाँ इस धारा के तहत एक आदेश के लिए प्रावधान है

किसी संपत्ति या देनदारियों का हस्तांतरण, तब, के आधार पर

8 धारा 170 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: 170. (1) जहां किसी व्यवसाय या पेशे को चलाने वाले व्यक्ति (इस धारा में इसके बाद पूर्ववर्ती के रूप में संदर्भित व्यक्ति) के बाद कोई अन्य व्यक्ति (इसके बाद इस धारा में उत्तराधिकारी के रूप में संदर्भित) उस व्यवसाय या पेशे को जारी रखता है,

(क) पूर्ववर्ती का निर्धारण उस पूर्ववर्ष की आय के संबंध में किया जाएगा जिसमें उत्तराधिकार की तारीख तक उत्तराधिकार हुआ था;

(ख) उत्तराधिकारी का निर्धारण उत्तराधिकार की तारीख के बाद पिछले वर्ष की आय के संबंध में किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब पूर्ववर्ती नहीं पाया जा सकता है, तो उस पूर्ववर्ष की आय का निर्धारण जिसमें उत्तराधिकार की तारीख तक उत्तराधिकार हुआ था और उस वर्ष से पहले के वर्ष का निर्धारण उत्तराधिकारी पर उसी तरीके से और उसी हद तक किया जाएगा जिस हद तक वह पूर्ववर्ती पर किया जाता और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे। (3) जब उत्तराधिकार की तारीख तक या उस वर्ष से पहले के वर्ष के लिए ऐसे व्यवसाय या पेशे की आय के संबंध में इस धारा के तहत देय कोई राशि, जिसका निर्धारण पूर्ववर्ती पर किया जाता है, उससे वसूल नहीं की जा सकती है, तो निर्धारण अधिकारी उस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा और पूर्ववर्ती द्वारा देय राशि उसके बाद

उत्तराधिकारी द्वारा देय और उससे वसूल करने योग्य होगी, और उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती से इस तरह से भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली करने का हकदार होगा।

9 9 वर्तमान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, संबंधित प्रावधान धारा 230-234 हैं।

आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 v.

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आदेश, कि संपत्ति को हस्तांतरित किया जाएगा और निहित किया जाएगा, और उन देनदारियों को स्थानांतरित किया जाएगा और बन जाएगा

अंतरिती कंपनी की देनदारियाँ; और किसी भी मामले में

संपत्ति, यदि आदेश इस प्रकार निर्देश देता है, किसी भी आरोप से मुक्त है जो समझौते या व्यवस्था के आधार पर समाप्त हो जाता है

प्रभाव पड़ता है।

धारा 394 (4) (ए) में परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के उद्देश्य से "संपत्ति" को परिभाषित किया गया हैः

" 394 ..... (4) इस खंड में

(क) "सम्पत्ति" में प्रत्येक विवरण की सम्पत्ति, अधिकार और शक्तियाँ शामिल हैं और "देनदारियों" में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य शामिल हैं। वर्णन; और "।

18. इस प्रकार, समामेलन एक निगमित इकाई के समापन के विपरीत है। समामेलन के मामले में, निगम का बाहरी आवरण

अस्तित्व निस्संदेह नष्ट हो जाता है; इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर भी, इस शब्द के हर दूसरे अर्थ में, निगमित उद्यम जारी है-नए या मौजूदा हस्तांतरणकर्ता इकाई के भीतर निहित। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय और साहस एक नए कॉर्पोरेट निवास, यानी हस्तांतरणकर्ता कंपनी के भीतर रहता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि निगमित इकाई के विनाश की मात्र अवधारणा से परे देखा जाए जो किसी भी मूल्यांकन कार्यवाही को समाप्त या समाप्त करती है। नागरिक कानून और प्रक्रिया में समानताएं हैं जहां एकीकरण पर, कार्रवाई का कारण या शिकायत अपने आप समाप्त नहीं होती है-निश्चित रूप से, अधिनियम की संरचना और उद्देश्य पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर, कानूनी प्रणालियों और अदालतों की खोज यह पता लगाने के लिए रही है कि क्या किसी विशेष कारण या कार्रवाई के संबंध में कोई उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि मौजूद है, जिस पर संपत्ति हस्तांतरित हो सकती है या जिस पर निर्णय होने की स्थिति में दायित्व गिर सकता है। 19. यह न्यायालय, आयकर आयुक्त, v. हुकुमचंद मोहनलाल 1 ने देखा कि अधिनियम की धारा 159 एक कानूनी कानून से संबंधित है।

प्रतिनिधि का कर दायित्व। यह एक कानूनी प्रतिनिधि पर उसकी या उसके पूर्ववर्ती की मृत्यु की स्थिति में कर का भुगतान करने का दायित्व डालता है, प्रभावी रूप से यह कहते हुए कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका कानूनी प्रतिनिधि किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो मृतक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। पुराने आयकर अधिनियम में संबंधित प्रावधान (

10 1972 (1) एससीआर 786 [2022] 4 एससीआर

1922) धारा 24 बी थी। आयकर आयुक्त बनाम में न्यायालय। अमरचंद श्रॉफ ने कहा कि यह प्रावधान खाते के वर्ष के बाद मूल्यांकन के वर्ष में किसी मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्राप्तियों पर कर लगाने को अधिकृत नहीं करता है, क्योंकि यह वह पिछला वर्ष है जिसमें ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। निर्धारिती को आम तौर पर एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए और वह मृत व्यक्ति नहीं हो सकता था। धारा 24 बी द्वारा मृतक निर्धारिती के कानूनी व्यक्तित्व को पूरे पिछले वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु से पहले उनके द्वारा प्राप्त आय और उनकी मृत्यु के बाद उनके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त आय (लेकिन उस पिछले वर्ष में) संबंधित निर्धारण वर्ष में आयकर के लिए आकलन योग्य हो गई। पिछले वर्ष या लेखांकन के बाद के वर्ष में प्राप्त कोई भी आय

वर्ष को मृतक व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क को बाद में आयकर आयुक्त बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में अपनाया गया था। जेम्स एंडरसन 1 2 जहाँ, एक मृतक की संपत्ति को उपार्जित लाभांश आय के संदर्भ में, इस अदालत ने निर्णय दिया कि जैसा कि संसद ने नहीं किया

" मृत व्यक्ति की संपत्ति द्वारा आम तौर पर प्राप्य आय के निर्धारण के लिए कोई प्रावधान, "कोई भी कर जो इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय होता यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती" की अभिव्यक्ति की आपूर्ति नहीं की जा सकती है

कानूनी द्वारा प्राप्त आय के कराधान के लिए तंत्र

वर्ष की समाप्ति के बाद संपत्ति के लिए प्रतिनिधि

जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ”

20. सरस्वती सिंडिकेट (ऊपर) में, तथ्य यह थे कि समामेलन के बाद, अंतरिती कंपनी ने कर से छूट का दावा किया, एक राशि जिसे एक व्यापारिक देयता के रूप में अनुमति दी गई थी-संचय के आधार पर, अंतरिती कंपनी के हाथों में जो अस्तित्व में नहीं थी। राजस्व ने उस दावे को अस्वीकार कर दिया; उस दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया। इस अदालत ने कहा किः

" समामेलन में दो या दो से अधिक कंपनियों को विलय या दूसरे द्वारा अधिग्रहण करके एक में मिलाया जाता है। पुनर्निर्माण या

' समामेलन 'का कोई सटीक कानूनी अर्थ नहीं है। द.

समामेलन दो या दो से अधिक मौजूदा का मिश्रण है।

एक उपक्रम में उपक्रम, प्रत्येक के शेयरधारक

11 1963 अनुपूरक (1) एस. सी. आर. 699 1 2 1964 (6) एस. सी. आर. 590 एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त (केंद्रीय)-2 वी. एस. महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कंपनी जो मिश्रित उपक्रमों को जारी रखेगी। किसी नई कंपनी को दो या दो से अधिक उपक्रमों के हस्तांतरण या किसी मौजूदा कंपनी को एक या एक से अधिक उपक्रमों के हस्तांतरण द्वारा समामेलन किया जा सकता है। कड़ाई से 'समामेलन' में किसी कंपनी द्वारा अन्य कंपनी की शेयर पूंजी का केवल अधिग्रहण शामिल नहीं है जो बची हुई है। अस्तित्व में है और अपने उपक्रम को जारी रखता है लेकिन जिस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया जाता है, वह दिखा सकता है कि इसका उद्देश्य इस तरह के अधिग्रहण को शामिल करना है। देखिएः हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण खंड। 7 पैरा 1539। दो कंपनियाँ एक नई कंपनी बनाने के लिए शामिल हो सकती हैं, लेकिन उनका अवशोषण या मिश्रण हो सकता है।

एक-एक करके, दोनों समामेलन के बराबर हैं। जब दो कंपनियों का विलय हो जाता है और इस तरह से जुड़ जाते हैं, तो तीसरी कंपनी बन जाती है या एक को एक में अवशोषित कर लिया जाता है या दूसरी के साथ मिलाया जाता है। समामेलित कंपनी अपनी इकाई खो देती है।

मेसर्स जनरल रेडियो एंड अप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड बनाम एम. ए. खादर (मृत) एल. आर. एस. , [1986] 2 एस. सी. सी. 656 में दो कंपनियों के विलय के प्रभाव पर विचार किया गया। एम/एस। जनरल रेडियो एंड अप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड एक समझौते के तहत एक परिसर का किरायेदार था, जिसमें कहा गया था कि किरायेदार इसके अधीन नहीं होगा।

मकान मालिक की सहमति के बिना किसी को भी परिसर या उसका कोई हिस्सा। एम/एस। जनरल रेडियो एंड अप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड को मेसर्स के साथ मिला दिया गया था। राष्ट्रीय एको रेडियो और

कंपनी अधिनियम, 1956। समामेलन योजना के तहत, अंतरिती कंपनी, अर्थात्, मेसर्स। राष्ट्रीय एको रेडियो और इंजीनियरिंग कंपनी ने सभी ब्याज, अधिकार हासिल कर लिए थे।

हस्तांतरणकर्ता के पट्टाधारिता और किरायेदारी अधिकारों सहित

कंपनी और वही हस्तांतरणकर्ता कंपनी में निहित है। समामेलन योजना के अनुसार अंतरिती कंपनी

उस परिसर पर कब्जा करना जारी रखा जो हस्तांतरणकर्ता कंपनी को दिया गया था। मकान मालिक ने हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा परिसर के अनधिकृत उप-पट्टे के आधार पर बेदखली के लिए कार्यवाही शुरू की। अंतरिती कंपनी ने एक रक्षा की स्थापना की जो दोनों के एकीकरण द्वारा की गई थी

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के तहत कंपनियों को लीज-होल्ड और किरायेदारी अधिकारों सहित सभी ब्याज, अधिकार [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा हस्तांतरणकर्ता के साथ मिश्रित कंपनी, इसलिए हस्तांतरणकर्ता कंपनी कानूनी किरायेदार थी और किसी भी उप-किराए का कोई सवाल ही नहीं था। किराया

नियंत्रक और उच्च न्यायालय दोनों ने मकान मालिक का फैसला सुनाया।

सूट। इस न्यायालय ने अपील में अभिनिर्धारित किया कि के आदेश के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर किया गया समामेलन, हस्तांतरणकर्ता कंपनी कानून की नजर में अस्तित्व में नहीं रही और इसने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए खुद को समाप्त कर दिया। यह

निर्णय में कहा गया है कि दोनों कंपनियों के विलय के बाद हस्तांतरणकर्ता कंपनी की कोई भी इकाई समाप्त हो गई और समामेलित कंपनी ने एक नया दर्जा प्राप्त कर लिया और दोनों कंपनियों को भागीदार के रूप में या उनकी देनदारियों और परिसंपत्तियों के संबंध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानना संभव नहीं था। में

तत्काल मामले में न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया कि अपीलार्थी

कंपनी एक अलग इकाई और एक अलग निर्धारिती थी,

इसलिए, भारतीय चीनी कंपनी, जो एक अलग निर्धारिती थी, को दिए गए भत्ते को अधिनियम की धारा 41 (1) के प्रयोजनों के लिए समामेलित कंपनी की आय नहीं माना जा सकता था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि दो कंपनियों के विलय के बाद भी, हस्तांतरणकर्ता

कंपनी अस्तित्वहीन नहीं हो गई, बल्कि उसने अपीलकर्ता कंपनी के साथ मिश्रित रूप में अपनी इकाई को जारी रखा। द हाई

न्यायालय का विचार कि समामेलन पर कोई पूर्ण नहीं है

हस्तांतरणकर्ता के सह-दर व्यक्तित्व का विनाश

इसके बजाय कंपनी का एक सम्मिश्रण है

एक अन्य निगमित निकाय के साथ एक का व्यक्तित्व और यह

दूसरे के साथ जारी रहना कानून में टिकाऊ नहीं है। समामेलन का वास्तविक प्रभाव और चरित्र काफी हद तक विलय की योजना की शर्तों पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जब दो कंपनियाँ विलय करती हैं और

एक में विलय हस्तांतरणकर्ता कंपनी अपनी इकाई खो देती है क्योंकि वह अपना व्यवसाय करना बंद कर देती है। हालाँकि, देनदारियों के उनके संबंधित अधिकार समामेलन की योजना के तहत निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन समामेलन की तारीख से हस्तांतरणकर्ता कंपनी की निगमित इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रभावी।

21. सरस्वती सिंडिकेट (ऊपर) को मूल्यांकन के मुद्दों पर निर्णय लिया गया था जब समामेलन अलग से नहीं था।आयकर अधिनियम के तहत।

1967 के एक संशोधन द्वारा, यह शब्द एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त (केंद्रीय)-2 v. एस. महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पहली बार धारा 2 (1 ए) के रूप में परिभाषित किया गया। वह प्रावधान

इस प्रकार हैः

" (1 क) कम्पनियों के संबंध में "समामेलन" का अर्थ है -

जिसके साथ वे विलय करते हैं या जो विलय के परिणामस्वरूप समामेलित कंपनी के रूप में गठित होती है) इस तरह से कि ((i) समामेलित कंपनी या कंपनियों की सभी संपत्तियाँ।

समामेलन के आधार पर समामेलित कंपनी का; ((ii) समामेलित कंपनी की सभी देनदारियाँ।

समामेलन से तुरंत पहले कंपनियाँ बन जाती हैं

समामेलित कंपनी की देनदारियाँ

एकीकरण; (iii) कम से कम नौ-दसवां हिस्सा रखने वाले शेयरधारक

समामेलित कंपनी या कंपनियों के शेयरों का

समामेलित कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा या उसके लिए नामित व्यक्ति द्वारा समामेलन) के शेयरधारक बन जाते हैं। समामेलन के आधार पर समामेलित कंपनी,

अन्यथा संपत्ति के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप

एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी द्वारा ऐसी संपत्ति की खरीद के अनुसरण में या दूसरी कंपनी को ऐसी संपत्ति के वितरण के परिणामस्वरूप पहली उल्लिखित कंपनी का समापन;

22. आय कर के संदर्भ में समामेलन के प्रभाव पर पहले के एक अन्य निर्णय, अर्थात मार्शल संस एंड इंडिया) लिमिटेड बनाम में विचार किया गया था। आयकर अधिकारी 1 3. वहाँ, अदालत ने कहा किः

" 14. समामेलन की प्रत्येक योजना को अनिवार्य रूप से

एक तारीख प्रदान करें जिससे समामेलन /

स्थानांतरण होगा। यहाँ संबंधित योजना यह करती है

तो प्रदान करें। , 1 जनवरी, 1982। यह सच है कि जबकि योजना को मंजूरी देते हुए, यह न्यायालय के लिए संशोधित करने के लिए खुला है

5 पूरक (9) एससीआर 216 [2022] 4 एस. सी. आर.

उक्त तिथि और समामेलन/हस्तांतरण की ऐसी तिथि निर्धारित करें।

जैसा कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझता है। यदि न्यायालय इस प्रकार एक तिथि निर्दिष्ट करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी तिथि समामेलन की तिथि/स्थानांतरण की तिथि होगी। लेकिन जहां न्यायालय कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं करता है

लेकिन केवल उसे प्रस्तुत की गई योजना को मंजूरी देता है-जैसा कि इस मामले में हुआ है-इसका पालन करना चाहिए कि समामेलन की दर/हस्तांतरण की तारीख योजना में "हस्तांतरण तिथि" के रूप में निर्दिष्ट तिथि है। यह अन्यथा नहीं हो सकता। यह याद रखना चाहिए कि धारा 391 (1) के तहत अदालत में आवेदन करने से पहले, एक योजना तैयार की जानी चाहिए और ऐसी योजना में समामेलन/हस्तांतरण की तारीख होनी चाहिए। कार्यवाही न्यायालय के समक्ष कुछ समय लग सकता है; वास्तव में, वे कुछ समय लेने के लिए बाध्य हैं क्योंकि धारा 391 से 394 और प्रासंगिक नियमों द्वारा प्रदान किए गए कई कदमों का पालन और पालन किया जाना है। इस अवधि के दौरान कार्यवाही लंबित है।

न्यायालय के समक्ष, दोनों समामेलन इकाइयाँ, अर्थात हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी व्यवसाय कर सकती हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है, लेकिन आम तौर पर समामेलन की योजना में भी इस पहलू के लिए प्रावधान किया जाता है। वर्तमान योजना में, खंड 6 (बी) स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि हस्तांतरण की तारीख से, हस्तांतरणकर्ता कंपनी (सहायक कंपनी) को सभी परिचर परिणामों के साथ हस्तांतरणकर्ता कंपनी (होल्डिंग कंपनी) के लिए और उसकी ओर से व्यवसाय करना माना जाएगा। यह ध्यान देना भी उतना ही प्रासंगिक है कि न्यायालय

इस मामले में न केवल योजना को मंजूरी दी है, बल्कि हस्तांतरण की तारीख के रूप में कोई अन्य तारीख भी निर्दिष्ट नहीं की है।

एकीकरण। ऐसी स्थिति में, यह कहना उचित नहीं होगा कि समामेलन की योजना योजना को मंजूरी देने के आदेश की तारीख से प्रभावी होती है। इसलिए, हमारी राय है कि आय द्वारा जारी किए गए नोटिस

कर अधिकारी (रिट याचिका में आरोपित) को कानूनी रूप से वारंट नहीं किया गया था। हस्तांतरणकर्ता कंपनी (सहायक कंपनी) द्वारा किए गए व्यवसाय को हस्तांतरणकर्ता कंपनी के लिए और उसकी ओर से किया गया माना जाना चाहिए। यह अदालत का आवश्यक और तार्किक परिणाम है। समामेलन की योजना को मंजूरी देना जैसा कि उसे प्रस्तुत किया गया था। योजना को मंजूरी देने वाले न्यायालय का आदेश, राजस्व कर आयुक्त (केंद्रीय) को दाखिल करना-2 v.

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां

कंपनियों के पंजीयक, शेयरों का आवंटन आदि हो सकता है सभी समामेलन की तारीख के बाद हुए /

यह मामला 1 जनवरी, 1982 का होगा। यह भी अनुपात है रघुबर दयाल बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय का।

द बैंक ऑफ अपर इंडिया लिमिटेड ए. आई. आर. 1919 पी. सी. 9, पर निर्भर था।

15. राजस्व के वकील ने तर्क दिया कि यदि उपरोक्त

दृश्य को अपनाया जाता है तो मामले में कई जटिलताएं पैदा होंगी।

न्यायालय समामेलन की योजना को मंजूरी देने से इनकार कर देता है।

हम इस आशंका का कोई आधार नहीं देखते हैं। सबसे पहले, एक

आय को ध्यान में रखते हुए अंतरिती कंपनी पर हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कंपनी दोनों के लिए। दूसरा,

और शायद के बिंदु से अधिक सलाह योग्य पाठ्यक्रम

राजस्व का दृष्टिकोण इस पर एक मूल्यांकन करना होगा

दोनों की आय को ध्यान में रखते हुए अंतरिती कंपनी, हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता कंपनियों का और

हस्तांतरणकर्ता और दोनों पर अलग-अलग सुरक्षात्मक आकलन

अंतरिती कंपनियाँ अलग से। एक निश्चित हो सकता है

इस पाठ्यक्रम को अपनाने में व्यावहारिक कठिनाई

अलग-अलग तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हो सकते हैं

हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कंपनियाँ। लेकिन यह नहीं हो सकता है एक अपरिवर्तनीय समस्या क्योंकि मूल्यांकन हमेशा हो सकता है

उपलब्ध सामग्री पर, संतुलन के बिना भी बनाया जाए चादर। कुछ मामलों में, सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन भी हो सकता है।

सहारा लिया जाए। जो भी हो, हमें इस मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है

जांच की क्योंकि यह इनमें विचार के लिए उत्पन्न नहीं होती है

सीधे मामले "।

(जोर दिया गया)

23. हाल के वर्षों में कई उच्च न्यायालयों ने ज्यादातर इस पर भरोसा किया था

अस्वती सिंडिकेट जो एक ऐसा मामला था जहाँ हस्तांतरणकर्ता इकाई के पास था

लेखांकन की सहमत विधि के आधार पर एक निश्चित राहत प्राप्त की। तत्कालीन हस्तांतरणकर्ता कंपनी के मामले में मांगों को मान्यता देने के लिए संबंधित दायित्व को बाद के वर्ष में अस्वीकार करने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइस (उपरोक्त) मामले में सरस्वती सिंडिकेट के फैसले पर रोक लगाने के बाद यह स्पष्ट किया कि क्यों

में आदेश तैयार किए बिना, एक समामेलन कंपनी का गठन करना हस्तांतरणकर्ता कंपनी का एन. ई. घातक है:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. कंपनी अधिनियम की धारा 481 कंपनी को भंग करने का प्रावधान करती है। उच्च न्यायालय में कंपनी न्यायाधीश कर सकते हैं कंपनी को उसमें बताए गए आधारों पर भंग करने का आदेश। विघटन का प्रभाव यह है कि कंपनी अब नहीं है

जीवित रहता है। विघटन कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। यह एम. एच. स्मिथ (प्लांट हायर) लिमिटेड बनाम में आयोजित किया जाता है। डी. एल. मेनवेरिंग (टी/ए इनशोर), 1986 बी. सी. एल. सी. 342 (सी. ए.) ने कहा कि "एक बार जब कोई कंपनी भंग हो जाती है तो वह एक गैर-अस्तित्व वाला पक्ष बन जाती है और इसलिए उसके नाम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार एक बीमा कंपनी जिसे किसी अन्य बीमित कंपनी के अधिकारों के अधीन रखा गया था, को हकदार नहीं माना गया था

बाद वाले के नाम पर कंपनी के नाम पर एक कार्रवाई बनाए रखें

भंग कर दिया गया था "।

11. 11 अप्रैल, 2004 को योजना की मंजूरी के बाद, मसाला 1 जुलाई, 2003 से बाहर निकलने के लिए बंद हो जाता है। भले ही स्पाइस ने विवरणी दाखिल की हो, लेकिन आयकर अधिकारियों पर यह दायित्व बन गया कि वे उक्त 'मृत व्यक्ति' के स्थान पर उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित करें। जब धारा 143 (2) के तहत नोटिस भेजा गया था, तो अपीलकर्ता/समामेलित कंपनी पेश हुई और लाई गई

ए. ओ. के ज्ञान के लिए यह तथ्य। हालाँकि, उन्होंने अभिलेख पर अपीलार्थी का नाम प्रतिस्थापित नहीं किया। इसके बजाय, मूल्यांकन अधिकारी ने मेसर्स स्पाइस के नाम पर मूल्यांकन किया जो उस दिन गैर-मौजूदा इकाई थी। ऐसी कार्यवाही और मेसर्स स्पाइस के नाम से पारित मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से अमान्य होगा। इस तरह के दोष को प्रक्रियात्मक दोष नहीं माना जा सकता है। केवल अपीलार्थी की भागीदारी

इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है।

12. एक बार जब यह पाया जाता है कि मूल्यांकन गैर-मौजूदा इकाई के नाम पर तैयार किया गया है, तो यह प्रकृति की प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं बनी रहती है जिसे प्रावधानों को लागू करके ठीक किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 292 बी "।

ने टैक्स वी। स्पाइस एनफोर्टेमेंट लिमिटेड 1 4.

0) 18 एस. सी. सी. 353 आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 v.

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" देरी को माफ कर दिया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना

पार्टियों के लिए दिखाई देता है। हमें विवादित निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है [स्पाइस एंटरटेनमेंट लिमिटेड बनाम। कॉम. सेवा कर, (2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल); सी. आई. टी. बनाम। आयाम परिधान (पी) लिमिटेड, (2015) 370 आई. टी. आर. 288; सी. आई. टी. बनाम। चाणक्य एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7678; सी. आई. टी. बनाम. चाणक्य एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, [2014 का आई. टी. ए. सं. 721, आदेश दिनांक 24-11-2014 (डेल)]; सीआईटी वी. राधा एपियरल्स (पी) लिमिटेड, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 14568; सी. आई. टी. बनाम। इंटेल टेक्नोलॉजी (इंडिया) (पी) लिमिटेड, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन कार 9493; सी. आई. टी. बनाम।

चाणक्य एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 14567;

सीआईटी वी. मयांक ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 14,633; सी. आई. टी. बनाम। पी. डी. एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 14,632; सीआईटी वी. फोरयू ओवरसीज (पी) लिमिटेड, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 14566; सी. आई. टी. बनाम। सेपिएंट कंसल्टिंग लिमिटेड, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6615; उच्च न्यायालय द्वारा पारित। इसे देखते हुए, हम अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार,

अपील और विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। 25. इस अदालत ने विस्तृत चर्चा के बिना तर्क को मंजूरी दे दी।

विभिन्न निर्णयों में जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हस्तांतरणकर्ता कंपनी की समाप्ति पर, हस्तांतरणकर्ता (या समामेलित कंपनी) का मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं था।

26. डालमिया पावर लिमिटेड और ओआरएस बनाम। सहायक

आयकर आयुक्त, सर्कल 1, त्रिची 1 5 समामेलित

(अंतरिती) कंपनी ने निर्धारित समय से आगे संशोधित विवरणी दाखिल की। मूल विवरणी हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा दाखिल की गई थी। राजस्व ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। निर्धारिती ने उच्च न्यायालय का रुख किया। इस अदालत ने एकल न्यायाधीश के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि राजस्व ने समामेलन योजनाओं पर विधिवत आपत्ति नहीं जताई थी और अधिनियम की धारा 139 (5) और 119 (2) (बी) और सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र संख्या (आईडी1) उस मामले में लागू नहीं थे जहां राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत व्यवस्था और समामेलन योजना के अनुसार संशोधित आरओआई दायर किया गया था।

27. एक अन्य हालिया निर्णय में, मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त, कर्नाटक सेंट्रल 1 6 इस अदालत ने दो कंपनियों के विलय के प्रभाव पर विचार करने का अवसर, और

15 (2020) 14 एस. सी. सी. 736 1 6 16 (2017) 13 एस. सी. सी 799

अधिनियम के तहत मूल्यह्रास के दावे के संबंध में अधिकार और देनदारियाँ। निर्धारिती ने विलय द्वारा एक बीमार कंपनी-एच. पी. एल.-को अपने नियंत्रण में ले लिया था; विलय के बाद एच. पी. एल. की कोई पहचान नहीं रह गई। हालांकि, सापेक्ष अधिकारों का निर्धारण समामेलन की योजना के संदर्भ में किया गया था। कंपनी का अस्तित्व समाप्त होने के बाद अर्जित ब्याज का लाभ था

निर्धारिती (उत्तराधिकारी) कंपनी द्वारा लाभ उठाया गया। निर्धारिती को समामेलित कंपनी के समामेलित नुकसान को चुकाने की अनुमति दी गई थी

इसके साथ, यानी, एच. पी. एल.। यह लाभ अधिनियम की धारा 72 ए के तहत निर्धारिती को प्राप्त हुआ। अदालत ने कहा कि जब निर्धारिती को उन नुकसानों की गणना करते समय संचित नुकसान का लाभ देने की अनुमति दी जाती है, तो उसमें उपार्जित आय को समायोजित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही निर्धारिती कंपनी द्वारा शुद्ध नुकसान को चुकाने की अनुमति दी जा सकती है। एओ के पास था

उन गणनाओं को किया। निर्धारिती को इसका लाभ दिया गया था

समामेलित कंपनी का संचित नुकसान। इसका प्रभाव यह था कि हालांकि उन नुकसानों का सामना समामेलित कंपनी को करना पड़ा था

धारा 72 ए के आधार पर निर्धारिती के नुकसान के रूप में माना जाता है। इस अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया कि संचित नुकसान का लाभ उठाते हुए भी, समामेलित कंपनी यानी एच. पी. एल. के हाथों उनकी गणना करने में, अधिनियम की धारा 41 (1) के तहत उपार्जित आय

एच. पी. एल. के हाथों इसका हिसाब नहीं दिया जा सका। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसे यह देखने के लिए समायोजित किया जाना था कि वास्तविक संचित नुकसान क्या था, जिसका लाभ निर्धारिती को दिया जाना था। इस अदालत ने अधिनियम की धारा 72 ए के साथ धारा 41 (1) पर विचार किया।

28. यह अदालत नोटिस करती है कि आयकर अधिनियम के तहत 100 से कम उदाहरण नहीं हैं, जिसमें समामेलन की स्थिति,

अधिनियम के प्रावधानों में किसी विशेष विषय वस्तु के उपचार की विधि स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। कुछ उदाहरणों में, समामेलन के परिणामस्वरूप एक विशेष लाभ की वापसी होती है (जैसे कि धारा 80 आईए के तहत एक क्षेत्र छूट)-क्योंकि यह इकाई या इकाई विशिष्ट है। नुकसान और लाभ को आगे बढ़ाने के मामले में, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का संकेत दिया गया है। ये सभी प्रावधान इस विचार का समर्थन करते हैं कि उद्यम या उपक्रम और समामेलित कंपनी का व्यवसाय जारी रहता है। लाभप्रद उपचार, कटौती के रूप में (हस्तांतरणकर्ता के अस्तित्व में रहने की अवधि के अनुपात में, हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरण के अनुपात में) 17 उदाहरण के लिए, धारा 35 ए, 35 एबी (3); 35 एबीबी; 35 डी (5); 35 डीडीए; 35 ई; 41 (1) (समामेलित कंपनी द्वारा अर्जित कोई भी लाभ)। समामेलन के दायित्व की समाप्ति से

कंपनी पर कर समामेलित कंपनी के हाथों में लगाया जाएगा); 43 (1); 43 (6); 32 और 43 (6) (सी); 43 सी; 47 (vi); (वाया) (वाया) (viab); 47 (vii); 72 ए; 72 एबी, आदि।

आय कर के प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 v.

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कंपनी); नुकसान, मूल्यह्रास को आगे बढ़ाते हुए, सभी इस बात का समर्थन करते हैं कि

अधिनियम, (क) हस्तांतरणकर्ता कंपनी के अधिकारों, परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित व्यवसाय समाप्त नहीं होता है, लेकिन हस्तांतरणकर्ता कंपनी के रूप में जारी रहता है; (ख) अधिनियम के कई प्रावधानों के माध्यम से काल्पनिक मानते हुए, विभिन्न मुद्दों का उपचार ऐसा है कि हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरणकर्ता के रूप में उद्यम को जारी रखना माना जाता है।

किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित या हस्तांतरित किया जाता है, उत्तराधिकारी ब्याज में हस्तांतरणकर्ता कंपनी की देनदारियों और परिसंपत्तियों का हकदार हो जाता है। हस्तांतरण या विलय के अनुबंध के नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा भी था। बाद में, सिंगर इंडिया लिमिटेड बनाम. चंदर मोहन चड्ढा "यह

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

समामेलन की योजना, लेकिन निगमित पहचान हस्तांतरणकर्ता कंपनी का अस्तित्व तारीख से समाप्त हो जाता है

समामेलन को प्रभावी बनाया गया है।

02.04.2013 पर AO, और AY 2012 13 के लिए धारा 143 (2) के तहत नोटिस 26.09.2013 पर समामेलित कंपनी को जारी किया गया था। इस न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों में निम्नलिखित टिप्पणी कीः 18 1988 (1) एस. सी. आर. 1088 1 9 19 [2004] पूरक (3) एस. सी. आर. 535 [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 35.इस मामले में, धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिसके तहत आकलन अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया गया था।

एक गैर-मौजूद कंपनी के लिए। समामेलन कंपनी के खिलाफ मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था। यह एक सार है अवैधता और धारा 292 बी में प्रकृति का प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं।

अनुमोदित योजना के परिणामस्वरूप अस्तित्व समाप्त हो गया समामेलन, क्षेत्राधिकार सूचना केवल इसके नाम पर जारी की गई थी। किस आधार पर अधिकारिता लागू की गई थी

मूल रूप से कानूनी सिद्धांत के विपरीत है कि

समामेलन की अनुमोदित योजना पर समामेलनक इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। द्वारा कार्यवाही में भागीदारी

परिस्थितियों में अपीलार्थी कानून के विरुद्ध अवरोध के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यह स्थिति अब दो विद्वान न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ के फैसले के मद्देनजर है, जिसने 2 नवंबर 2017 को स्पाइस एंटरटेनमेंट में राजस्व की अपील को खारिज कर दिया था। स्पाइस एंटरटेनमेंट का फैसला

प्रत्यर्थी के मामले में पालन किया गया है जबकि

ए. वाई. 2011-2012 के लिए विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना। में।

ऐसा करते हुए, इस अदालत ने स्पाइस के फैसले पर भरोसा किया है

मनोरंजन।

40. हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं पाते हैं। कर मुकदमेबाजी में निश्चितता के हित को बढ़ावा देने में एक मूल्य है जिसका न्यायालय को पालन करना चाहिए। वह दृश्य जो लिया गया है

इस न्यायालय द्वारा ए. वाई. 2011-12 के लिए प्रतिवादी के संबंध में, हमारे विचार में वर्तमान अपील के संबंध में अपनाया जाना चाहिए जो ए. वाई. 2012-13 से संबंधित है। ऐसा न करने से केवल अनिश्चितता और तय की गई अपेक्षाओं का विस्थापन होगा। वहाँ

एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो अवलोकन से जुड़ा होना चाहिए

स्थिरता और निश्चितता की आवश्यकता। व्यक्तिगत मामलों का संचालन किया जाता है और व्यावसायिक निर्णय किए जाते हैं

निरंतरता, एकरूपता और निश्चितता की अपेक्षा। उन सिद्धांतों से हटना न तो समीचीन है और न ही वांछनीय।

32. अदालत ने निस्संदेह सरस्वती सिंडिकेट को देखा। इसके अलावा, मसाला (ऊपर) और निर्णयों की अन्य पंक्तियों में कटौती, जो मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-2 v में समाप्त होती है।

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उन फैसलों को मंजूरी देने वाले इस अदालत के आदेश पर भी ध्यान दिया गया। फिर भी, "समामेलन" को परिभाषित करने वाली धारा 2 (1 ए) को लागू करके विधायी परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अलावा, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में कर व्यवहार को पिछले फैसलों में इस अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. आर. पी. एल. का एम. आई. पी. एल. के साथ विलय हो गया और उसके बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो गया; यह एक स्थापित तथ्य है और विवाद में नहीं है। प्रतिवादी ने स्पाइस और मारुति सुजुकी (ऊपर) पर भरोसा किया है तर्क दें कि समामेलन कंपनी के नाम पर जारी किया गया नोटिस

शून्य और अवैध है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों को निम्नलिखित आधारों पर स्पाइस और मारुति सुजुकी के तथ्यों से अलग किया जा सकता है।

34. सबसे पहले, दोनों निर्भर मामलों में, निर्धारिती ने कंपनियों के विलय के बारे में अधिकारियों को विधिवत सूचित किया था और फिर भी

समामेलन/गैर-अस्तित्व वाली कंपनी के नाम पर मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में, ए. वाई. 2006-07 के लिए, कंपनी के विलय के बारे में निर्धारिती द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। ए. वाई. 2006-07 के लिए आर. ओ. आई. पहली बार प्रतिवादी द्वारा 30.06.2006 पर एम. आर. पी. एल. के नाम पर दायर किया गया था। एम. आर. पी. एल. का एम. आई. पी. एल. के साथ विलय 11.05.2007, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2006 पर किया गया। वर्तमान मामले में, एम. आर. पी. एल. के खिलाफ कार्यवाही 27.08.2008 में शुरू हुई-जब पहली बार महागुन समूह की कंपनियों पर तलाशी और जब्ती की गई थी। धारा 153 ए के तहत नोटिस और

धारा 143 (2) एम. आर. पी. एल. के नाम से जारी की गई थी और एम. आर. पी. एल. के प्रतिनिधि एम. आर. पी. एल. के नाम से विभाग के साथ पत्राचार करते थे। 28.05.2010 पर, निर्धारिती ने एम. आर. पी. एल. के नाम से अपना आर. ओ. आई. दाखिल किया, और फॉर्म के 'व्यवसाय पुनर्गठन' कॉलम में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है समामेलन अनुभाग में लागू। हालाँकि प्रत्यर्थी का तर्क है कि उन्होंने अधिकारियों को दिनांकित 22.07.2010 पत्र द्वारा सूचित किया था, यह AY 2007-2008 के लिए था न कि AY 2006-07 के लिए। ए. वाई. 2007-08 से 2008 2009 तक के लिए, धारा 153 ए के तहत अलग-अलग कार्यवाही शुरू की गई थी।

एम. आई. पी. एल. और इन दो मूल्यांकन वर्षों के लिए एम. आर. पी. एल. के खिलाफ कार्यवाही को अतिरिक्त सी. आई. टी. द्वारा दिनांक 30.11.2010 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

35. दूसरा, जिन मामलों पर भरोसा किया गया था, उनमें समामेलित कंपनियों ने विभाग और अदालतों के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया था अभिनिर्धारित किया कि समामेलित कंपनी की भागीदारी नहीं होगी

एस्टोपेल के रूप में माना जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, कार्यवाही में भागीदारी एम. आर. पी. एल. द्वारा की गई थी-जिसने खुद को एम. आर. पी. एल. के रूप में प्रस्तुत किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. सरस्वती सिंडिकेट और मार्शल (ऊपर) में इस अदालत के फैसलों ने संकेत दिया है कि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के अधिकार और देनदारियां विलय की शर्तों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सरस्वती सिंडिकेट में आगे जो बात कही गई है वह यह है कि

समामेलन पर हस्तांतरणकर्ता का निगमित अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

37. वर्तमान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश द्वारा इसे मंजूरी देने वाले आदेश में समामेलन की शर्तें निर्धारित की गई हैं।

दिनांकित 10.09.2007। अदालत ने अपने आदेश में महागुन डेवलपर्स लिमिटेड, महागुन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विलय का निर्देश दिया। लिमिटेड, यूनिवर्सल विज्ञापन प्रा. लिमिटेड, एडीआर होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड की धारा 394 के तहत

महागुन (इंडिया) प्रा. लि. के साथ कंपनी अधिनियम, 1956। लिमिटेड (एम. आई. पी. एल.) हस्तांतरणकर्ता कंपनी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के परिचालन आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया हैः

" यह दोनों न्यायालय शांति योजना

अनुसूची में निर्धारित समानता-I ने यहाँ संलग्न किया है और दोनों ने सभी के लिए बाध्यकारी होने की घोषणा की है

हस्तांतरणकर्ता के शेयरधारक और लेनदार और

अंतरिती कंपनियाँ और सभी संबंधित और दोनों नियुक्त व्यक्ति से प्रभाव के साथ समामेलन की उक्त योजना को मंजूरी देते हैं।

तिथि अर्थात 1.04.2006।

और यह न्यायालय का अगला आदेशः
1. कि अनुसूची-II के पहले, दूसरे और तीसरे भागों में निर्दिष्ट हस्तांतरणकर्ता कंपनियों की सभी संपत्ति, अधिकार और शक्तियां और अन्य सभी संपत्ति, अधिकार और शक्तियां।

हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के हस्तांतरण को आगे के कार्य या विलेख के बिना सभी हस्तांतरणकर्ता कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा और तदनुसार यह कंपनियों की धारा 394 (2) के अनुसार होगा।

अधिनियम, 1956 अंतरिती को हस्तांतरित किया जाए और निहित किया जाए।

हस्तांतरणकर्ता की सभी संपत्ति और हितों के लिए कंपनी कम्पनियाँ लेकिन फिर भी अब सभी शुल्कों के अधीन हैं

उसी को प्रभावित करता है; और

2. कि हस्तांतरणकर्ता की सभी देनदारियाँ और कर्तव्य

कंपनियों को आगे के कार्य या विलेख के बिना हस्तांतरणकर्ता कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 (2) के अनुसार इसे हस्तांतरणकर्ता की देनदारियों और कर्तव्यों में स्थानांतरित किया जाएगा और बन जाएगा।

कंपनी; और एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त (केंद्रीय)-2 वी. एस. महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

3. कि सभी कार्यवाही अब द्वारा या खिलाफ लंबित है

हस्तांतरणकर्ता कंपनियों को जारी रखा जाए या हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ कंपनी; और

4. कि हस्तांतरणकर्ता कंपनी आगे किए बिना करती है

हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के ऐसे सदस्यों को आवंटित आवेदन जिन्होंने असहमति की ऐसी सूचना नहीं दी है जो इसके द्वारा आवश्यक है

समामेलन की योजना में दिया गया खंड 7

अंतरिती कंपनी में वे शेयर जिनके वे हकदार हैं

उक्त समामेलन के अधीन; और

5. कि हस्तांतरणकर्ता कंपनियाँ पाँच सप्ताह के भीतर करती हैं इस आदेश की तारीख इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति का कारण बनती है

कंपनी पंजीयक को पंजीकरण के लिए भेजा जाए और ऐसी प्रमाणित प्रति इस प्रकार वितरित किए जाने पर, हस्तांतरणकर्ता

कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया के बिना भंग कर दिया जाएगा।

और कंपनी पंजीयक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। हस्तांतरणकर्ता कंपनियों से संबंधित और उनके साथ पंजीकृत

अंतरिती कंपनी के संबंध में उनके द्वारा रखी गई फाइल पर

और उक्त अंतरणकर्ता और अंतरणकर्ता से संबंधित फाइलें कंपनियों को तदनुसार समेकित किया जाएगा।

38. ए. ओ. द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश अंतर-अभिलेखित

यह इस प्रकार हैः

" 6.1 निर्धारिती समूह के मामले में एक सर्वेक्षण संचालन

20-03-2007 पर किया गया था जिसमें दोषारोपण किया गया था

दस्तावेज़ पाए गए जो 'ऑन' की रसीद को दर्शाते थे फ्लैटों/दुकानों की बिक्री पर धन/दबी हुई बिक्री आय। सर्वेक्षण के दौरान एक 'जगुआर' सर्पिल डायरी मिली जो

विभिन्न परियोजनाओं की गैर-अभिलिखित बिक्री आय शामिल

समूह द्वारा लिया गया। निर्धारिती का सामना करने पर

प्रबंध निदेशक अमित जैन के बयान के अनुसार समूह

महागुन रियल्टर्स प्रा. लि. महागुन डेवलपर्स लिमिटेड, महागुन (इंडिया) प्रा. लि. लिमिटेड ने स्वयं 20-03-2007 पर रिकॉर्ड किया

प्रश्न का उत्तर नहीं। 19 & 21 एक राशि का समर्पण किया

रु. 16.9589 ए. वाई. 2007 08 के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार करोड़ रुपयेः

((i)

महागुन रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड रु. 5.072 करोड़

((ii) महागुन डेवलपर्स लिमिटेड रु। 4.952 करोड़ (iii) महागुन इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड रु.

6.934 करोड़ [2022] 4

एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

आसान संदर्भ के लिए कथन का प्रासंगिक भाग है -

एड निम्नानुसार हैः

कृपया बिक्री के बारे में आगे विस्तार से बताएँ

उक्त डायरी के पृष्ठ 2 से 18 पर उल्लिखित,

इस तथ्य के प्रकाश में कि प्रश्न संख्या 15 के उत्तर में यह किया गया है कहा गया है कि उक्त बिक्री आय में परिलक्षित नहीं होती है

ए/सी की पुस्तक। उक्त बिक्री के आंकड़े महीनेवार बिक्री आय को दर्शाते हैं।

परियोजनाओं के संबंध में एफ. वाई. 2006-07 से संबंधित

जैसा कि उल्लेख किया गया है, विभिन्न स्थलों पर निर्माणाधीन

ऊपर, जो हमारी ए/सी की पुस्तकों में प्रतिबिंबित नहीं हैं

एम. आर. पी. टी., एम. डी. एल., एम. आई. पी. एल. की हमारी बिक्री में परिलक्षित नहीं हुआ

20.03.2007 . इन तीनों में बिक्री आय की कुल मात्रा क्या है?

ए/की आपकी पुस्तकों में एफ. वाई. 06-07 में घोषित नहीं किया गया है सी जैसा कि आपने उपरोक्त प्रासंगिक के लिए अपने रिप्ले में स्वीकार किया है

सवाल करते हैं।

उक्त डायरी के अनुसार, निम्नलिखित बिक्री नहीं होती है

एफ. वाई. 06-07 की ए/सी की हमारी पुस्तकों में घोषित

एम. आर. पी. एल., एम. डी. एल. और एम. आई. पी. एल. इस प्रकार हैंः

क) महागुन रियल्टर्स प्रा. लि. लिमिटेड (एम. आर. पी. एल.)

रु. 507.2 लाख।

ख) महागुन डेवलपर्स लिमिटेड (एम. डी. एल.)

रु. 495.2 लाख।

ग) महागुन इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड (एम. आई. पी. एल.)

रु. 693.48 लाख।

रु. 1695.88

लाख।

प्रश्न संख्या 19 के संदर्भ में, कृपया पुनः पुष्टि करें

चाहे रु. की कुल राशि। 16,95,88,000 / - हिस्सा है

द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम करों के अनुरूप शुद्ध लाभ का

01.04.2006 से अवधि के लिए एम. डी. एल., एम. आई. पी. एल. और एम. आर. पी. एल.

20.03.2007 तक। मैं एतद्द्वारा पुनः पुष्टि करता हूँ कि रुपये की राशि। 16,95,88,000 /

- एम. डी. एल., एम. आई. पी. एल. के पी. एंड एल. ए./सी. में घोषित नहीं किया गया है

और 01.04.2006 से 20.03.2007 की अवधि के लिए एम. आर. पी. एल.।

इसलिए, मैं एक एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयोग (केंद्रीय)-2 वी. का स्पष्ट समर्पण करता हूं।

एस. महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

रुपये की राशि। 16.95,88,000 / - अतिरिक्त आय एफ. वाई. 06-07 के लिए निम्नलिखित कंपनियों में से

ए. वाई. 07-08:

क) महागुन रियल्टर्स प्रा. लि. लिमिटेड (एम. आर. पी. एल.) रु. 507.2 लाख।

रु. 495.2 लाख।

ख) महागुन डेवलपर्स लिमिटेड (एम. डी. एल.)

रु. 693.48 लाख।

ग) महागुन इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड (एम. आई. पी. एल.)

रु. 1695.88 लाख।

मैं फिर से पुष्टि करता हूं कि कुल समर्पण राशि रु।

16.95.88. 000 संबंधित शुद्ध लाभ से अधिक है

इस अवधि के लिए एम. डी. एल., एम. आई. पी. एल. और एम. आर. पी. एल. द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम करों के लिए

01.04.2006 से 20.03.2007 तक। मैं आगे बताना चाहूंगा कि

कि कुल समर्पण रु। 16.95.88. 000/- के संबंध में

ए. वाई. 2007-08 के लिए एम. आई. पी. एल., एम. डी. एल. और एम. आर. पी. एल. जिसके लिए आयकर अभी तक विवरणी दाखिल नहीं की गई है और मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि विवरणी

Rs.16.95.88 की न्यूनतम वापसी आय। 000 / - (संबंधित कुल समर्पण राशि) और इसके अनुरूप शुद्ध लाभ

से अवधि के लिए एम. डी. एल., एम. आई. पी. एल. और एम. आर. पी. एल. द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर

01.04.2006 20.02.2007 तक।

इस प्रकार, समर्पण ए. वाई. के लिए शुद्ध लाभ से अधिक था। 2007-08 संबंधित कंपनी के मामले में। निर्धारिती था

उसी को सहसंबंधित करने और उचित ठहराने की आवश्यकता है कि यह किया गया है नियमित व्यावसायिक आय के ऊपर और ऊपर दिखाया गया। द.

निर्धारिती ने प्रस्तुत किया है कि आय विवरणी दाखिल करते समय

एवाई 2007-08 ने रुपये की आय का खुलासा किया है। 16.95 करोड़ के रूप में व्यावसायिक आय के शीर्ष के तहत अतिरिक्त नकद बिक्री।

6.2 सर्वेक्षण अभियान के बाद तलाशी और जब्ती

'ऑन' की प्राप्ति के कारण उत्पन्न अघोषित आय पैसे आदि पाए गए और उनका सामना किया गया, श्री अमित

जैन, समूह के प्रबंध निदेशक और मुख्य व्यक्ति

दर्ज किए गए बयान के प्रश्न 15 के उत्तर में समूह यू/एस। 132 (4) 27-08-2008 पर निम्नानुसार स्वीकार किया गयाः

" जैसा कि ऊपर कई बार कहा गया है, मैं समझाने में सक्षम नहीं हूं

के रूप में चिह्नित खाते में दिखाई देने वाली मामले की प्रविष्टियाँ/रसीदें अनुलग्नक ए-20, ए-21, ए-22, ए-23 और ए-24। इसलिए, मैं [2022] 4 एस. सी. आर. की पेशकश करता हूं।

रु. 30 मेसर्स के हाथों में उपरोक्त अनुलग्नकों में मामले की प्राप्तियों/प्रविष्टियों के कारण अतिरिक्त आय के रूप में करोड़ रुपये। महागुन इंडिया (पी) लिमिटेड घोषित अतिरिक्त आय समाप्त हो गई है और

घोषित की जाने वाली नियमित आय से ऊपर।

6.3 संबंधित कंपनियों द्वारा दाखिल आय विवरणी के आलोक में अतिरिक्त आय या प्राप्तियों के प्रवेश की जांच की गई थी। जहाँ तक सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान स्वीकार की गई 16.95 करोड़ की आय का लेखांकन है संबंधित यह पाया गया है कि में लेखा किया गया है

संबंधित वर्ष जिनके लिए इसकी पेशकश की गई थी। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्री अमित जैन, जिनका बयान 30 करोड़ की अतिरिक्त आय के समर्पण के लिए दर्ज किया गया था, ने कहीं भी यह नहीं बताया है कि समर्पण की गई आय किस विशेष वर्ष के लिए है। विवरणी की सावधानीपूर्वक जांच से पता चला है कि अब तक 30 करोड़ की अतिरिक्त आय के रूप में यू/एस दर्ज किए गए बयान में खोज के दौरान स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। 132 (4) पूर्ण पेशकश करने के बजाय निर्धारिती कंपनी महागुन इंडिया (पी) लिमिटेड से संबंधित है

कराधान के लिए 30 करोड़ की राशि, ए. वाई. 2009-10 के लिए केवल 17.97 करोड़ की पेशकश की है। अतिरिक्त आय की यह राशि अनुलग्नकों (ए-20, ए-21, ए-22, ए-23 और ए-24) के शिखर के आधार पर दी गई है, जिसे भी निर्धारिती कंपनी द्वारा अपने कार्य-प्रगति में <आई. डी. 1 करोड़ और रु. 1 हाथ में नकदी के रूप में करोड़। यह शब्द प्रगति में ए. वाई. के लिए रखी गई पुस्तकों में डेबिट किया गया है।

2010-11 अर्थात्, इस विस्तार के लिए ए. वाई. 09-10 में किए गए समर्पण को ए. वाई. 2010-11 के लिए आय के विरुद्ध निर्धारित किया गया है।

39. ए. ओ. ने अधिनियम की धारा 142 के तहत एक विशेष लेखा परीक्षा का निर्देश दिया था। विशेष लेखा परीक्षक और जी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद निर्धारिती की आपत्तियों पर विचार करने के बाद ए. ओ. ने निम्नानुसार अभिलिखित कियाः

" 7.3 जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि निर्धारिती समूह को लगभग प्रत्येक फ्लैट/दुकान की बिक्री पर नियमित/अभ्यास के रूप में 'धन' प्राप्त हुआ था। तदनुसार, यह

काम करने के लिए समीचीन/आवश्यक माना जाता था सभी संबंधित परियोजनाओं के बेचे गए पूरे क्षेत्र के संबंध में 'धन पर' की अघोषित प्राप्तियां ताकि दबी हुई प्राप्तियों की सटीक मात्रा का पता लगाया जा सके। विशेष लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से आय कर के अतिरिक्त प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2 v की मात्रा निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था।

एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इस बहिर्वेशन आधार पर बनाया जाना था जिस पर उन्होंने काम किया था

रुपये में बाहर। 42 , 98 , 06,439 निम्नलिखित के अनुसार;

परियोजना के अनुसार

पा का नाम 2005-06 2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

जी परियोजना

कुल

218 महागुन

7,46,38,625 | | (-) 4,03,62,237

30,34,948 (-)

65,14,449

1,79,63,669

4,87,60,456

हवेली-I

4,91,80,754 | (-)

6,21,37,750

217 महागुन

6,17,17,540

5,22,91,432 2,23,83,104

उस्ताद। परियोजना

216 महागुन 2,02,54,253 5,54,20,982 (-) 1,84,47,637

1,33,26,297

17,76,500 7,23,30,395

हवेली-II

2,50,3

2,522 2,50,32,522

215 महागुन

शुभंकर

214 महागुन

5,18,87,855

5,70,7

6,640 10,89,64,495

मॉल

213 महागुन

5,87,69,659

(-)

84,90,900 4,58,78,816

5,73,68,702 (-) 6,16,78,845

मोरेफेउ

एस ई 4, नोएडा

212 महागुन

(-) 5,21,92,597

11,93,15,012 6,71,22,415

मोज़ेक

कुल

3,82,17,922 2,41,030,598 2,09,41,932

35,58,412

12,60,57,575 42,98,06,439

अंतर

7.6 निर्धारिती द्वारा दाखिल जवाब पर विचार किया गया है। द.

निर्धारिती इस तरह से किए गए बहिर्वेशन पर विवाद नहीं करता है लेकिन

अभी-अभी अतिरिक्त दर पर छूट देने के लिए कहा है

और इसे पूरी परियोजना अवधि में फैलाएं। इससे पहले

इस बात पर विचार करते हुए कि क्या उत्तर निर्धारिती कंपनी द्वारा दायर किया गया है

स्वीकार्य है या नहीं, इसे फिर से दोहराना आवश्यक माना जाता है

खोज और जब्ती के लिए प्रासंगिक ब्लॉक या 7 वर्ष निर्धारिती समूह के हाथों में किए गए संचालन

निम्नलिखित परियोजनाएं या तो शुरू की गई हैं या

निम्नलिखित विवरणों के अनुसार पूरा किया गया;

तिथि

परियोजना का नाम

तिथि

किस परियोजना के लिए संस्था

संबंधित है।

पूरा करना

शुरुआत

एफ. वाई. 2002-2003

एफ. वाई. 2002-2003

महागुन इंडिया पी. लिमिटेड

प्लॉट नंबर 14 शालीमार

बगीचा।

फ्लोट नं. 26 शालीमार। महागुन इंडिया पी. लिमिटेड।

एफ. वाई. 2002-2003

एफ. वाई. 2002-2003

बगीचा।

ए-10 शालीमार गार्डन। महागुन इंडिया पी. लिमिटेड।

एफ. वाई. 2002-2003

एफ. वाई. 2003-2004

महागुन इंडिया पी. लिमिटेड

महागुन विला

एफ. वाई. 2003-2004

एफ. वाई. 2004-2005

महागुन इंडिया पी. लिमिटेड

महागुन शैली

एफ. वाई. 2005-2006

एफ. वाई. 2003-2004

महागुन हवेली-I

महागुन डेवलपर्स पी. लिमिटेड

एफ. वाई. 2002-2003

एफ. वाई. 2007-2008

महागुन इंडिया पी. लिमिटेड

महागुन हवेली-II

एफ. वाई. 2007-2008

एफ. वाई. 2004-2005

महागुन इंडिया पी. लिमिटेड

महागुन मॉर्फियस

एफ. वाई. 2005-2006

एफ. वाई. 2007-2008

महागुन उस्ताद

महागुन रियल्टर्स पी. लिमिटेड

एफ. वाई. 2005-2006

एफ.

वाई. 2007-2008 [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. दबाए गए प्राप्तियों की करयोग्यता का वर्ष और इकाई

8.1 यहाँ यह उल्लेख करना चाहिए कि एफ. वाई. 2002-2003 के दौरान और

2003-04 , निर्धारिती परियोजना समाप्ति का अनुसरण कर रहा था विधि और बाद के वर्षों में निर्धारिती में परिवर्तन हुआ है

प्रतिशत समाप्ति विधि। चूंकि, निर्धारिती निम्नलिखित हैः

प्रतिशत पूर्णता विधि 'यह अनिवार्य थी

निर्धारिती रुपये की बेनामी प्राप्तियों को फैलाने के लिए। 16.95

जैसा कि सर्वेक्षण के दौरान स्वीकार किया गया था और रु। 32,82,27,143 जैसा कि पाया गया है

शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में खोज में मिली डायरियाँ

परियोजनाओं के पूरा होने के प्रतिशत के अनुपात में

जैसा कि संबंधित वर्षों में प्राप्त किया गया है। मेरी राय में जब तक कि यह नहीं है निर्धारिती की सही कर योग्य आय नहीं हो सकती है

काम हो गया। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपने उत्तर में भी

दिनांक 27-07-2011, निर्धारिती ने सहमति व्यक्त की है कि बेनामी

प्राप्तियों को विभिन्न वर्षों में फैलाया जाना आवश्यक है

प्रतिशत पूर्णता विधि का आधार।

8.2 उपरोक्त समर्पण का श्रेय देने पर विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण (उसी आधार पर जो अपनाया गया है)

42 करोड़ का आंकड़ा तैयार करने के लिए विशेष लेखा परीक्षक द्वारा)

बेनामी प्राप्तियों के कारण होने वाली संभावित अतिरिक्त आय

जैसा कि इस पैरा में उल्लेख किया गया है, रु। 49,78,59,943 जो

निर्धारिती को कराधान की पेशकश करनी चाहिए थी

इस आदेश के अनुलग्नक ए-1 के अनुसार। तदनुसार परिवर्धन हैं

मूल्यांकन के संबंधित वर्षों में किया गया

निर्धारिती समूह द्वारा अपने विवरणी में विधिवत हिसाब की गई प्रास्तियाँ

इन वर्षों के लिए दायर किया गया। संक्षेप में, इस कार्य के अनुसार,

यह निम्नानुसार किया जाएगाः

कंपनी का नाम सहायक वर्ष जोड़ की राशि आधार पर निर्धारित की गई

बहिर्वेशन

रुपये का समर्पण। 49,78,59,943 उसी अनुपात में काम किया गया जिस अनुपात में काम किया गया था। लेखा परीक्षक

विशेष लेखा परीक्षक द्वारा

प्रकाशित

2006-07

महागुन रियल्टर्स पी.

5,22, 91.433

6,05,71,018

लि.

2004-05

महागुन डेवलपर्स

पी. लिमिटेड

2005-06

2,34,61,235

-करें।

2,02,54,253

6,41,96,022

5,54,20,982

-करें।

2006-07

महागुन इंडिया पी. लिमिटेड

2004-05

1,79,63,669

-करें।

2005-06

2,08,07,939

-करें।

2006-07

13,33,88,185

15,44,27,160

-करें।

2,09,41,931

2007-08

2,42,57,786

-करें।

41,21,842

35,58,411

2008-09

-करें।

2009-10

12,60,57,575

14,60,16,941

कुल

42,98,06,439

49,78,59,943 एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त (केंद्रीय)-2 वी.

एस. महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

8.3 इस मुद्दे से अलग होने से पहले इसे आवश्यक माना जाता है।

यह इंगित करने के लिए कि निर्धारिती समूह को पेशकश करनी चाहिए थी

उन संस्थाओं के हाथों में आय जिन्होंने अर्जित किया था सर्वेक्षण और तलाशी कार्रवाई के दौरान उपरोक्त आय का पता चला।

आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है। सी. आई. टी. बनाम च. में न्यायालय अत्वैया (218 आई. टी. आर. 241 एस. सी.) आय है

निर्धारिती समूह, दबी हुई प्राप्तियाँ, चाहे कुछ भी हो उपचार निर्धारिती समूह में कर लगाया जाना आवश्यक है

उन संस्थाओं/कंपनियों के हाथ जिन्होंने उपरोक्त कार्य को अंजाम दिया

परियोजनाएं। तदनुसार, द्वारा दिए गए उपचार की अवहेलना

निर्धारिती समूह, उपरोक्त कुल अघोषित प्राप्तियाँ

49.78 करोड़ को अधिकारों के हाथों कर में लाया जाता है

जिनका आवंटन उपरोक्त पैरा 8.2 के अनुसार किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए जिम्मेदार गैर-लेखा प्राप्तियां

निर्धारिती की और निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा गया। मुझे संतोष है कि निर्धारिती ने उपरोक्त का खुलासा नहीं किया है।

रसीदें/आय और इस तरह की दंड कार्यवाही धारा 271 (1) (सी) के तहत इस अंक पर आकर्षित होते हैं।

(रु. का जोड़। 6,05,71,018 / -) ”

वर्तमान मामले के तथ्य विशिष्ट हैं, जैसा कि स्पष्ट है

40 .

निम्नलिखित क्रमः

1 .

30.06.2006 पर।

समामेलन का क्रम दिनांकित 11.05.2007 है-लेकिन बनाया गया है

2 .

01.04.2006 से प्रभावी। इसमें एक शर्त है-खंड 220 - जिसके तहत एम. आर. पी. एल. की देनदारियां एम. आई. पी. एल. पर हस्तांतरित की गईं।

3 .

आय की मूल वापसी को संशोधित नहीं किया गया था, भले ही

मूल्यांकन की कार्यवाही लंबित थी। अंतिम तिथि

कि हस्तांतरणकर्ता कंपनियों की सभी देनदारियों और कर्तव्यों को आगे हस्तांतरणकर्ता कंपनी को हस्तांतरित किया जाए और तदनुसार इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 (2) में स्थानांतरित किया जाएगा और किया जाएगा।

अंतरिती कंपनी के अधिकार और कर्तव्य "[2022] 4 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एम. आर. पी. एल. और अन्य सहित महागुन समूह के संबंध में तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की गई। कंपनियाँः

जब महागुन समूह की खोज और जब्ती की गई

((i)

जगह के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया था

एकीकरण।

((ख)

श्री अमित जैन द्वारा 20.03.2007 पर दिया गया एक बयान,

एम. आर. पी. एल. के खाते में जमा राशि के संबंध में लेखा पुस्तकों में विसंगतियां। पाठ्यक्रम में स्वीकार की गई विशिष्ट राशि 5.072 करोड़ थी। दर्ज किए गए बयान से।

(iii) वारंट एम. आर. पी. एल. के नाम पर था। एम. आर. पी. एल. और एम. आई. पी. एल. के निदेशकों ने 27.08.2008 पर अधिनियम की धारा 132 के तहत एक संयुक्त बयान दिया। (iv) एम. आर. पी. एल. और अन्य हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के साथ-साथ एम. आई. पी. एल. के संबंध में कुल 30 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी।

जब अधिनियम की धारा 132 (4) के तहत एक बयान दर्ज किया गया था, तो श्री.

अमित जैन।

रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी होने पर, 28.05.2010 पर एम. आर. पी. एल. के नाम से एक रिटर्न दाखिल किया गया था। इससे पहले, दो तारीखों पर, यानी 22/27.07.2010, एम. आर. पी. एल. की ओर से पत्र लिखे जाते थे, जिसमें समामेलन के बारे में सूचित किया जाता था, लेकिन यह ए. वाई. 2007-08 के लिए था (जिसके लिए अलग कार्यवाही होती थी)। धारा 153 ए के तहत शुरू किया गया था) और एवाई 2006 07 के लिए नहीं।

वापसी को विशेष रूप से दबा दिया गया-और इसका खुलासा नहीं किया गया

समामेलन (एम. आई. पी. एल. के साथ)-प्रश्न 27 (बी) की प्रतिक्रिया के रूप में "एन. ए". था।

एन. सी. आई. पी. ए. एल. आय कर आयुक्त (केंद्रीय)-2 वी.

एस. महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

वापसी-विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाने के अलावा

7 .

एम. आर. पी. एल. के नाम में उसका पैन नंबर भी था।

मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, वहाँ भरा था

8 .

भागीदारी-सभी हस्तांतरणकर्ता कंपनियों और एम. आई. पी. एल. की ओर से। एक विशेष लेखा परीक्षा का निर्देश दिया गया था (जो धारा 142 के तहत नोटिस जारी करने के बाद ही संभव है)। विशेष लेखापरीक्षा पर आपत्तियाँ संबंधित भागों के संबंध में दायर की गई थीं

एमआरपीएल।

कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लेने के बाद जो थे

9 .

विशेष रूप से पूर्ववर्ती एम. आर. पी. एल. के व्यवसाय के संबंध में

आई. टी. ए. टी. के समक्ष पहली बार अंत होने वाले वर्ष 31.03.2006 के लिए प्रति-आपत्ति में (आई. टी. ए. टी. द्वारा पसंद की गई अपील में)

राजस्व), एक अतिरिक्त आधार का आग्रह किया गया था कि मूल्यांकन आदेश एक अमान्य था क्योंकि एम. आर. पी. एल. में नहीं था

अस्तित्व। मूल्यांकन

आदेश जारी किया गया था-निस्संदेह के संबंध में

10 .

एम. आर. पी. एल. (निर्धारिती के रूप में दिखाया गया है, लेकिन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है

हस्तांतरणकर्ता कंपनी एम. आई. पी. एल.)।

सी. आई. टी. में अपील दायर की गई (और एक प्रति-आपत्ति, के लिए)

11 .

आई. टी. ए. टी.)-एम. आर. पी. एल. द्वारा "एम. आई. पी. एल. द्वारा प्रतिनिधित्व"। किसी भी समय-सबसे पहले खोज के समय,

12 .

और बाद में, नोटिस की प्राप्ति पर, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एम. आर. पी. एल. अस्तित्व में नहीं था, और इसकी व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ

और देनदारियाँ, जो एम. आई. पी. एल. द्वारा ली गई हैं।

13. इस अदालत के समक्ष दायर जवाबी हलफनामा-(दिनांकित)

07.11.2020) श्री अमित जैन पुत्र श्री पी. के. जैन ने इसकी पुष्टि की है, जिन्हें-हलफनामे में "मैसर्स महागुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड, आर/ओ के निदेशक" के रूप में वर्णित किया गया है।

41. तथ्यों के आलोक में, जो अत्यधिक स्पष्ट है-वह है

समामेलन निर्धारिती को पता था, यहाँ तक कि स्तर पर भी

तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, साथ ही राजस्व निदेशकों और ओ. यू. पी. के प्रबंध निदेशक द्वारा दर्ज किए गए बयान। नोटिस के अनुसार एक विवरणी दायर की गई थी, जिसने परिवार को दबा दिया; इसके विपरीत, विवरणी एम. आर. पी. एल. की थी। हालांकिएन. टी. आई. का अस्तित्व समाप्त हो गया, फिर भी, इसके [2022] 4 एस. सी. आर. पर अपील दायर की गई।

सी. आई. टी. के समक्ष अपनी ओर से, और आई. टी. ए. टी. के समक्ष एक प्रति अपील दायर की गई थी। यहां तक कि इस अदालत के समक्ष हलफनामा भी एम. आर. पी. एल. के निदेशक की ओर से है। इसके अलावा, मूल्यांकन आदेश श्रमसाध्य रूप से एम. आर. पी. एल. द्वारा समर्पण की गई विशिष्ट राशियों का उल्लेख करता है, और विशेष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, खोज मूल्यांकन आदेश में कर के लिए विशिष्ट राशियां लाता है। वह आदेश निस्संदेह एम. आर. पी. एल. (निर्धारिती के रूप में) का है।

- लेकिन हस्तांतरणकर्ता, एम. आई. पी. एल. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। ये सब स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं। कि आदेश ने कर देयता को व्यक्त करने का एक विशेष तरीका अपनाया। दूसरी ओर, एओ के पास एक सामान्य आदेश देने का विकल्प था, जिसमें एम. आई. पी. एल. निर्धारिती के रूप में था, लेकिन इसमें अलग-अलग हिस्से शामिल थे, जो विभिन्न हस्तांतरणकर्ता कंपनियों (महागुन डेवलपर्स लिमिटेड, महागुन) से संबंधित थे।

रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड, यूनिवर्सल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, एडीआर होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड)। इन परिस्थितियों में एम. आर. पी. एल. के संबंध में एक अलग आदेश जारी करने में ए. ओ. का केवल चयन इसे रद्द नहीं कर सकता है। इसे जारी किए जाने के समय से ही और विभिन्न कार्यवाहियों के सभी चरणों में, संबंधित पक्षों (यानी, एम. आई. पी. एल.) ने इसे हस्तांतरणकर्ता के संबंध में माना।

समामेलन आदेश और धारा के आधार पर कंपनी (एम. आई. पी. एल.)

394 (2) . इसके अलावा, यह किसी का भी अनुमान होगा, अगर कोई धनवापसी देय थी, तो क्या एम. आई. पी. एल. तब कहेगा कि वह इसका हकदार नहीं है, क्योंकि धनवापसी आदेश एक गैर-मौजूदा कंपनी (एम. आर. पी. एल.) के पक्ष में जारी किया जाएगा। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि इस मामले के तथ्यों में, तलाशी की तारीख से शुरू होने वाले निर्धारिती के आचरण और सभी मंचों के सामने, यह दर्शाता है कि उसने लगातार खुद को निर्धारिती के रूप में स्थापित किया है। ए. ओ. का दृष्टिकोण और आदेश, इस अदालत की राय में मार्शल एंड संस (उपरोक्त) के फैसले के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था किः

" एक आकलन हमेशा किया जा सकता है और हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कंपनी दोनों की आय को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरणकर्ता कंपनी पर किया जाना चाहिए।

42. निष्कर्ष निकालने से पहले, यह न्यायालय नोट करता है और मानता है कि क्या समामेलन पर किसी इकाई की निगमित मृत्यु स्वयं को अमान्य करती है मूल्यांकन आदेश का निर्धारण आम तौर पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 (और 2013 अधिनियम में इसके समकक्ष) के खाली आवेदन पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह समामेलन की शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

43. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए और इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है; इसे दरकिनार कर दिया जाता है।

चूंकि आय कर का प्रधान आयुक्त (केंद्रीय)-2

v. एम/एस। महगुन रियल्टर्स (पी) लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)